

21.5.18

फरगवली राजस्व लोक अदालत अभियान
 न्याय आयोजक एर-२०१८ में अदालत सेवा केंद्र
 आगोदा पेश हुई। पक्षकारन को सुना था।
 फरगवली लोक अदालत की भावना से
 अदालत को देखा जाकर उभय पक्ष को दि
 ३-१-१५ को जारी आदेश के से मूलवाद
 के निस्तारण लक्ष अस्वादि निवेधाना से
 पाबन्द किया गया। फरगवली असल सुकार
 टोकर दर्ज नम्बर में कम दो आदेश कर्ण
 आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 सांभर लोक